संख्या-117/2026/614(1)/35-4-2025/35-4002(003)/1/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा/एटा/फिरोजाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 31 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-37/2026/513/35-4-2026/35-4002(003)1/2026 दिनांक 29.3.2026 द्वारा जनपद आगरा/एटा/मथुरा में कुल 140 कार्यों की रू. 6782.26 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1695.00 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 29.3.2026 के क्रमांक 1 से 10, 54 से 65, 109 से 128 तक अंकित कार्यों की लागत रू 1994.12 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू. 498.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

2- जिलाधिकारी आगरा के पत्र संख्या- 1591, 1592,1590, 1597 व 1589/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 22.03.2026 द्वारा जनपद आगरा के उपलब्ध कराये संशोधित प्रस्ताव के क्रम में उपर्युक्त शासनादेश संख्या-37/2026/513/35-4-2026/35-4002(003)1/2026 दिनांक 29.3.2026 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से क्रमांक 1 से 10, 54 से 65, 109 से 128 तक अंकित कार्यों की एवं जनपद फिरोजाबाद में शासनादेश संख्या-63/2026/537/35-4-2026/35-4002(003)29/2026 दिनांक 30.3.2026 द्वारा स्वीकृत कार्यो में से क्रमांक-33 से 41 (लागत रू. 446.36 लाख) पर अंकित कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निरस्त किये जाने एवं निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यो की रू. 2498.57 लाख (रूपये चौबीस करोड़ अट्ठानबे लाख सत्तावन हजार मात्र जी0एस0टी सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू. 623.00 लाख (रूपये छः करोड़ तेईस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(रू. लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
	जनपद आगरा के कार्य				
1.	वि०ख० सैया में छत्तापुरा मैन रोड से छत्तापुरा झोपडी (अड्डा) की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.515	41.65	10.00	ग्रा0अभि0वि0
2.	वि०ख० खेरागढ़ में चीत सोन मार्ग से सोन के छोटे नगला की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	41.16	10.00	ग्रा0अभि0वि0
3.	वि०ख० जगनेर में ग्राम सोनी खेडा से सफेरों के अड्डा की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	41.16	10.00	ग्रा0अभि0वि0
4.	वि०ख० खेरागढ़ में सैंया खेरागढ़ मार्ग से सीताराम की मढैया की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	41.16	10.00	ग्रा0अभि0वि0
5.	वि०ख० खेरागढ में ग्राम नगला विष्णू से दूधाधारी गढी ताल रोड तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.505	40.76	10.00	ग्रा0अभि0वि0
6.	वि०ख० सैंया के ग्राम पंचायत नदीम में लाखन सिंह कुशवाह की दुकान से हाट की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	41.33	10.00	ग्रा0अभि0वि0
7.	वि०ख० सैंया में नौहरिका से सरोज पुरा की ओर	0.6	48.6	12.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	सी०सी० निर्माण कार्य।				
8.	वि०ख० सैंया में रहलई से कदम के पुरा की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.515	41.73	10.00	ग्रा0अभि0वि0
9.	वि०ख० जगनेर में मैन रोड से मिर्चपुरा की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.26	21.15	5.00	ग्रा0अभि0वि0
10.	वि०ख० जगनेर की ग्राम पंचायत बरगवों खुर्द में बमनई बरगवों बुजर्ग रोड से नगला सैमर की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.229	18.64	5.00	ग्रा0अभि0वि0
11.	वि०ख० सैया में सैंया इरादत नगर मार्ग से खोतीपुरा की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	41.33	10.00	ग्रा0अभि0वि0
12.	वि०ख० सैंया में नगला छारी मैन मार्ग से हनुमान मंदिर की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.25	20.34	5.00	ग्रा0अभि0वि0
13.	वि०ख० खेरागढ़ के नगला डेहर कुशवाहा बस्ती में सी०सी० निर्माण कार्य।	0.21	20.64	5.00	ग्रा0अभि0वि0
14.	वि०ख० जगनेर की ग्राम पंचायत बसई जगदीश के मजरा गंगापुर कुशवाहा बस्ती में सी०सी० निर्माण कार्य।	0.21	20.16	5.00	ग्रा0अभि0वि0
15.	वि०ख० जगनेर की ग्राम पंचायत धनिना की मजरा कछपुरा में रोड से बधाई की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.21	20.16	5.00	ग्रा0अभि0वि0
16.	विकास खण्ड बाह के पुरा कनेरा रोड से बघेल बस्ती बगिया तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.955	80.62	20.00	ग्रा0अभि0वि0
17.	विख० बाह के ग्राम दृसंगपुरा के आवादी भाग डाबरं रोड़ से सियाराम की मढैया तक जरार की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.7	59.13	15.00	ग्रा0अभि0वि0
18.	विकास खण्ड बाह के ग्राम पंचायत नरहोली में भाऊपुरा बिचोला रोड़ से बरपुरा तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.55	46.5	12.00	ग्रा0अभि0वि0
19.	वि०ख० पिनाहट के पिनाहट मनोना मार्ग नहर की पुलिया से जसराम के बघेल के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	43.12	11.00	ग्रा0अभि0वि0
20.	वि०ख० पिनाहट के ग्राम बीच का पुरा में पिनाहट तासौड़ रोड से रामभजन बघेल के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	43.12	11.00	ग्रा0अभि0वि0
21.	वि०ख० पिनाहट के ग्राम गंजनपुरा में अमीर सिंह की आर०सी०सी० से लेकर सुरेन्द्र सिंह के घर होते हुये मुख्य मार्ग तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.55	46.5	12.00	ग्रा0अभि0वि0
22.	वि०ख० जैतपुर के ग्राम लाल का पुरा में नौगवों मार्ग से भरी कुआँ से विनय नरवरिया के घर से आगे तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.5	42.28	11.00	ग्रा0अभि0वि0
23.	वि०ख० बाह में आगरा-बाह मार्ग से धोबई तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.540	45.65	11.00	ग्रा0अभि0वि0
24.	वि० ख० बाह के ग्राम डगरूपुरा में आबादी भाग में सी०सी० निर्माण कार्य।	0.5	42.28	11.00	ग्रा0अभि0वि0
25.	वि० ख० बाह के ग्राम रूदमुली में मुख्य मार्ग तालाब से लेकर डा० वीर बहादुर सिंह के खेत के पास से रोहित सिंह के घर की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.6	50.71	13.00	ग्रा0अभि0वि0
26.	ग्राम अरतोनी में आगरा मथुरा मार्ग महिन्द्रा की एजेन्सी से ट्रांसफार्मर की ओर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.5	53.83	13.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

27.	ग्राम अरतोनी के श्री राम कैम्पस से मुख्य मार्ग देवी मन्दिर से एस०एस० सोल फैक्ट्री तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.5	54.84	14.00	ग्रा0अभि0वि0
28.	महर्षि पुरम मेघ कुंज कॉलोनी की विभिन्न गलियों तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.5	40.56	10.00	ग्रा0अभि0वि0
29.	धुलियागंज चौराहे से नमक की चक्की होते हुये श्री पल्लीवाल जैन मंदिर की ओर सी०सी० कार्य।	0.51	40.51	10.00	ग्रा0अभि0वि0
30.	कमला नगर के ए० ब्लॉक लक्ष्मी नगर में अर्जुन के घर से पार्क तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.505	40.84	10.00	ग्रा0अभि0वि0
31.	अवधपुरी में राना ज्वेलर्स से जैन मंदिर की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	40.7	10.00	ग्रा0अभि0वि0
32.	शारदा विहार फेस-3 में गुटियारीलाल के घर से अजय दिवाकर एवं अजय दिवाकर के घर से सुन्दर धाकड़ के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.505	41.05	10.00	ग्रा0अभि0वि0
33.	माहौर नगर बोदला में किशन की दुकान से शिवम के घर तक एवं संध्या माहौर वाली गली पुश्पक गार्डन से डोली बघेल में घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	41.37	10.00	ग्रा0अभि0वि0
34.	अछनेरा भरतपुर मार्ग से भागरौल जाट की ओर सड़क तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.693	54.92	14.00	ग्रा0अभि0वि0
35.	वार्ड-90 UPSIDC रोड से प्रतीक विहार अमल गार्डन होते हुए सेंट फ्रांसिस हिलमैन स्कूल के आगे वाले मोड तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.5	40.6	10.00	ग्रा0अभि0वि0
36.	वि०ख० फतेहाबाद के ग्राम मुटावई होली डाढे से खादरपुरा की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.6	50.71	13.00	ग्रा0अभि0वि0
37.	एत्मादपुर के सतोली मोहल्ला में भगवान देवी बघेल के घर से किताब सिंह के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.55	42.2	11.00	ग्रा0अभि0वि0
38.	वार्ड-28 रोषन बाग कॉलोनी के मुख्य मार्ग का सी०सी० निर्माण कार्य।	0-990	75.73	19.00	ग्रा0अभि0वि0
39.	ग्राम पंचायत हाजीपुर खेड़ा में मजरा सोनिगा में लायक सिंह के घर से खेरा गाँव की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.55	42.6	11.00	ग्रा0अभि0वि0
40.	ग्राम पंचायत गिलौली में गाँव से रामपाल बघेल की ठार की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.6	46.45	12.00	ग्रा0अभि0वि0
41.	ग्राम पंचायत पोइया में हाथरस रोड एम एच 93 से पीली पोखर गाँव की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.6	46.45	12.00	ग्रा0अभि0वि0
42.	ग्राम पंचायत सेवरा में बरहन ऑवलखेडा रोड़ से नगला चौब सिंह की ओर सी०सी० निर्माण कार्य	0.52	40.29	10.00	ग्रा0अभि0वि0
43.	ग्राम पंचायत नगला बेल से सेवरा रोड से नगला षिवलाल की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.55	42.6	11.00	ग्रा0अभि0वि0
44.	ग्राम पंचायत ऊचा में डाबर रोड से नगना छद्रदू गाँव की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	39.51	10.00	ग्रा0अभि0वि0
45.	ग्राम पंचायत सैमरा में बांस गडरिया गाँव से लालगढ़ी गाँव की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.57	44.14	11.00	ग्रा0अभि0वि0
46.	ग्राम पंचायत गुढ़ा छलेसर (बांस बादम) रोड से गुढ़ा डाबर रोड़ तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.52	40.29	10.00	ग्रा0अभि0वि0
47.	वि०ख० फतेहाबाद के ग्राम मुटावई में महेश की ठार सी०सी० रोड से पुरा महाराम तक सी०सी० कार्य।	0.6	49.73	12.00	ग्रा0अभि0वि0
48.	विकास खण्ड जगनेर में नगला भुम्मा मार्ग से नगला सहजू तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	40.58	10.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

49.	वार्ड नव 51 के अंतर्गत मऊ में हरिहर आश्रम से लेकर रतिराम के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.6	49.18	12.00	ग्रा0अभि0वि0
50.	विकास खण्ड शमशाबाद में ग्राम चितौरा से कोलारा खुर्द की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.88	65.47	16.00	ग्रा0अभि0वि0
51.	विकास खण्ड खेरागढ़ के ग्राम कछपुरा में खेरागढ़ समाधि मार्ग से मोती राम पूर्व प्रधान के घर की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.505	40.84	10.00	ग्रा0अभि0वि0
52.	विकास खण्ड अकोला में ग्राम इकराम नगर के नगला में केदार के घर से रामबीर के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	41	10.00	ग्रा0अभि0वि0
53.	बिन्दु कटरा में 509 आर्मीबेस वर्कशॉप गेट से बघेल मंदिर होते हुए सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	67.65	17.00	ग्रा0अभि0वि0
54.	विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी में बिदरपुर से हरगोबिंद के नगला तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	39.91	10.00	ग्रा0अभि0वि0
55.	विकास खण्ड बिचपुरी के ग्राम सुचेता वायुविहार मार्ग से सुचेता मुख्य मार्ग की ओर सी०सी० निर्माण कार्य।	0.66	52.47	13.00	ग्रा0अभि0वि0
56.	विकास खण्ड अकोला की ग्राम पंचायत धनौली में प्रजापति भवन प्रांगण में सामुदायिक भवन/पंचायत घर का निर्माण कार्य।	1 नग	52.78	13.00	ग्रा0अभि0वि0
	जनपद एटा के कार्य				
57.	जलेसर तहसील के नया बांस से महापुर रोड़ तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.51	38.89	10.00	ग्रा0अभि0वि0
	योग		2498.57	623.00	

1. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-37/2026/513/35-4-2026/35-4002(003)1/2026 दिनांक 29.3.2026 द्वारा स्वीकृत क्रमांक 1 से 10, 54 से 65, 109 से 128 पर अंकित कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रू. रू. 498.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-63/2026/537/35-4-2026/35-4002(003)29/2026 दिनांक 30.3.2026 द्वारा स्वीकृत कार्यो में से क्रमांक-33 से 41 पर अंकित कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रू. रू. 215.00 लाख को नियमानुसार राजकीय राजकोष में जमा कराया जायेगा।
2. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29.3.2026 एवं दिनांक 30.3.2026 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।
3. उपर्युक्त तालिका में अंकित कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
5. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
6. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
7. वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

8. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
9. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
11. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
12. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
13. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
14. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
15. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
17. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
18. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
19. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
20. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
21. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
22. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

23. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
24. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
25. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
26. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
27. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
28. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
29. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
30. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
31. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
32. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
33. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
34. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस संबंध में उपर्युक्त कार्यों में से क्रमांक-56 पर अंकित कार्य पर होने वाला व्यय रू. 13.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के **अनुदान संख्या-**40 **लेखाशीर्षक** 405960800030305 सामुदायिक केन्द्रों के निमाण हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। तथा शेष कार्यों पर हाने वाला व्यय रू. 610.00 लाख (रूपये छः करोड़ दस लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के **अनुदान संख्या-**40 **लेखाशीर्षक** 5054043370301- **ग्रामीण क्षेत्रों में नई सडकों के लिये** एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:117/2026/614(1)/35-4-2025/35-4002(003)/1/2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आगरा एवं अलीगढ ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, आगरा/एटा/फिरोजाबाद ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा/एटा/फिरोजाबाद ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा/एटा/फिरोजाबाद ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, आगरा/एटा/फिरोजाबाद ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।